

31 में, खाता संख्या 37 में, खाता संख्या 105, खाता संख्या 313 में आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के दर्ज हिस्से तक किसी भी प्रकार से रहन, बेचान, हस्तान्तरण, नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये अप्रार्थी संख्या 01, 02, 06 व 07 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक **13.05.2022** को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई

13/5/22

पत्रावली पेश की वकील वार्ड / अप्रार्थी
गणों के नोटिस शामिल / अप्रार्थी शामिल अप्रार्थी
सुब-डिविजन दिनांक 13/5/22 को अवधि बंद
जाएत वान्ते नवी पत्रावली दिनांक
11/7/22 को पेश की

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

C/No. 20/2022 अनवान सीमा डेवी व/र रामेश्वर

01/07/2022 पत्रावली पेश की प्राथमिकी को लगे वकील
मोरोबबामा द्वारा मूल वाद में ववालद्वारा पेश
किप्य तथा एम प्राथमिकी पत्र वान्ते राजीनामा ले
प्रा-पत्र पुत्माहारित काले वाखत को समाप्त
वाड पुत्माहण की सहति के प्राथमिकी व अप्रार्थी म 1
के हस्तागत करवाये गये हैं कि पुत्माहण में प्राथमिकी
व अप्रार्थी के मध्य लोक अदालत की भावना
के राजीनामा ले चुका है अतः अब प्रा. पत्र
को चलाये गये हैं प्राथमिकी को विवक नहीं है अतः
प्राथमिकी अन्तिम पत्र अन्तगौर धारा 212 के तहत
20/2022 अनवान सीमा डेवी व/र रामेश्वर को त्वर
पर खारिज किया जावत है प्रा. पत्र को लगे
अन्तगौर नमाने काले

पहचानपत्र
Prakash Kumar
(मोरोबबामा)
एड.

सीमा

रामेश्वर

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

